तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2006/8745/उदयपुर* *मोती वगैरह बनाम धर्मा वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/25	**एकल-पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** **-----** **उपस्थितः** श्री शांति प्रकाश ओझा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता। श्री सम्पतलाल बोहरा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगरानीकर्ता। ------ ***आदेश*** 1- यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं0 58/2006, बउनवानी धर्मा वगैरह बनाम मोती वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15-11-2006 के विरूद्ध पेश की गई है। 2- निगरानी याचिका के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा वाद संख्या 37/99 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27-06-2005 को निरस्त करने हेतु आदेश-9 नियम-13 सपठित धारा-151 सीपीसी मय धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र वर्तमान अप्रार्थी संख्या-1 से 3 ने पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण ने इसका जवाब पेश कर इसे खारिज करने का अनुरोध किया, जिस पर उभय पक्षों की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-07-2006 से उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या-1 से 3 द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28-7-2006 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 15-11-2006 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका मण्डल में पेश की गई है। 3- उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद में जो निर्णय दिया गया है, वह विधिसम्मत निर्णय है। अप्रार्थी संख्या-1 से 3 को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये गये, लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। तत्पश्चात् विधिनुसार विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर वाद का निस्तारण कर दिया। अप्रार्थी संख्या-1 से 3 को वाद की शुरू से ही जानकारी रही है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश-9 नियम-13 सीपीसी को मियाद पर खारिज कर दिया तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 25-9-2006 नियत की गई तथा उसी दिन अर्थात् दिनांक 25-9-2006 को प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को बावजूद सूचना के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2006/8745/उदयपुर* *मोती वगैरह बनाम धर्मा वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुपस्थित दर्ज कर अपील को आगामी पेशी दिनांक 08–11–2006 को बहस हेतु नियत कर दी तथा दिनांक 08–11–2006 को बहस सुनकर अपील दिनांक 15–11–2006 को स्वीकार कर ली गई अर्थात् 3 पेशी में जल्दबाजी करते हुए बिना जांच पड़ताल किये ही विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–07–2006 को अपास्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तात्विक अनियमितता बरती है। प्रार्थीगण को अपीलीय न्यायालय के यहां से दिनांक 25–9–2006 की पेशी के कोई नोटिस तामील नहीं कराये और न ही कोई तामील कुनिन्दा उनके पास नोटिस लेकर आया जो सम्मन के नोटिस पर प्रार्थीगण की अंगूठा निशानी अंकित बताई है, वह प्रार्थीगण की नहीं है तथा प्रार्थी संख्या–2 दल्ला व प्रार्थी संख्या–4 रूपलाल तो अंगूठा निशानी करते ही नहीं है वह तो हस्ताक्षर करते है, जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–1 से 3 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर यह फर्जकारी करवाई है। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अप्रार्थीगण के अभिभाषक के हिदायत पैरवी से इंकार किया तथा अप्रार्थी ने 6 वर्षो तक चले प्रकरण में कभी रूचि नहीं ली है, इसलिये आदेश–9 नियम–13 सीपीसी को मियाद के बिन्दु पर ही सही तौर पर खारिज किया है, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है, जबकि प्रार्थीगण को बिना नोटिस तामील करवाये तथा सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय व सहज सिद्धांत के विपरीत आक्षेपित निर्णय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–07–2006 को बहाल रखने तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 15–11–2006 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। 4– उक्त कथनों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 से 3 ने निवेदन किया है कि वाद संख्या 37/99 में दिनांक 27–76–2006 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय धारा–5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को खारिज करने बाबत् पेश किया, किन्तु विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थीगण जानबूझकर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा प्रार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत के अनुसरण में स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें ऐसी कोई गंभीर विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2006/8745/उदयपुर* *मोती वगैरह बनाम धर्मा वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अनुरोध किया गया। 5– उभय पक्षों को सुनकर संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 249, 258 व 259 का 2/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 एवं शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–3 से 8 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रहा। उक्त भूमि के बंटवारे हेतु वादीगण अप्रार्थी संख्या–3 से 8 द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण अप्रार्थी संख्या–1 व 2 व प्रार्थीगण न्यायालय उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर के समक्ष वाद संख्या–37/1999 पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किये जाने पर प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा इसके पश्चात् अपना जवाबदावा भी दिनांक 07–07–2003 को पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या–3 से 7 वर्तमान प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 26–7–1999 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि का 2/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता कालू से उनके पिता हीरा द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29–03–1980 से खरीद किया जाना बताते हुए उक्त 2/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा हेतु पृथक से वाद संख्या–01/2001 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया, जिसमें भी अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 से 7 द्वारा अपना वकालतनामा पेश किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–10 सपठित धारा–151 सीपीसी स्वीकार होने से उक्त वाद संख्या–01/2001 को वाद संख्या–37/1999 के साथ संयोजित किये जाने का अंकन आदेशिका दिनांक 07–07–2003 में हैं। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपना जवाब पेश कर विवादित भूमि विक्रय पत्र दिनांक 29–03–1980 को फर्जी व कूटरचित होना बताते हुए वादपत्र को कन्टेस्ट किया, वहीं प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या–3 से 7 ने उक्त विक्रय दिनांक 29–03–1980 से विवादित भूमि का 2/3 हिस्सा उनके पिता हीरा द्वारा खरीद कर कब्जा सुपुर्द करने के आधार पर उक्त हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु काउण्टर क्लेम दिनांक 19–04–2004 को पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 04–10–2004 को विवाद्यक विरचित किये एवं दिनांक 28–02–2005 को साक्ष्य वादी बंद की गई एवं दिनांक 21–03–2005 को प्रतिवादी संख्या–3 से 7 द्वारा अपने गवाह पेश कर बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 16–6–2005 को प्रतिवादी संख्या–3 से 7 की बहस सुनकर एवं वादी की ओर से नो इन्सटक्शन प्लीड होने व शेष प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के *पूरे प्रकरण में एक बार उपस्थित नहीं होने एवं ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की पैरवी* करना अभिवर्णित करते हुए प्रतिवादी संख्या–3 से 7 की एकपक्षीय बहस सुनकर इनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार वादीगण अप्रार्थी संख्या–3 से 8 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन खारिज कर दिया एवं प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए इनके पक्ष में 2/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करते हुए अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या–1 व 2 व वादीगण के विरूद्ध स्थायी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2006/8745/उदयपुर* *मोती वगैरह बनाम धर्मा वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर दी गई। 6– विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2005 एकपक्षीय साक्ष्यों पर आधारित निर्णय हैं, जबकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया गया है तथा वादपत्र के खण्डन में अपना प्रतिवाद पत्र भी पेश कर प्रश्नगत विक्रय दिनांक 29–03–1980 को अवैध व फर्जी होना बताया है तथा इस आधार पर प्रकरण में वांछित तनकीयात भी निर्मित की गई, किन्तु विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं में अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की अनुपस्थिति का अंकन कहीं भी प्रकट नहीं होता हैं एवं ना ही इनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रकट होता हैं, जिसके अभाव में यह तर्क माने जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे हो। इसके विपरीत यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश कर प्रकरण को कन्टेस्ट किया गया। वादी पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये गये, किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को काउण्टर क्लेम के खण्डन स्वरूप कोई साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया जाना स्पष्टः आदेशिकाओं के अवलोकन उपरांत प्रकट नहीं होता हैं। हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या–3 से 7 की साक्ष्य ली जाकर एवं इनकी एकपक्षीय बहस सुनकर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 जो कि विवादित भूमि के 2/3 हिस्से के रेकार्डेड काश्तकार थे, के विरूद्ध खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित की गई हैं। प्रकरण का विधिपूर्ण निस्तारण करते समय यह अपेक्षित था कि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत् तनकीवार निष्कर्ष प्रदान करते हुए निर्णय पारित करते। उक्त विधिक पहलूओं की कोई पालना विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 विवादित भूमि के रेकार्डेड काश्तकार थे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार रेकार्डेड काश्तकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं करते हुए केवल मात्र प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–3 से 7 की एकतरफा बहस सुनकर एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शुरू से ही अनुपस्थिति बताते हुए प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। 7– उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2005 के विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–9 नियम–13 सपठित धारा–151 पेश करते हुए उन्हें साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं करने एवं उन्हें करीब 25 से ज्यादा अवसर प्रदान किये जाने तथा उन्हें काउण्टर क्लेम की कोई जानकारी नहीं दी गई हो, संबंधी निष्कर्षांकन करते हुए प्रार्थना पत्र को मियाद के आधार पर खारिज कर दिया गया, जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2006/8745/उदयपुर* *मोती वगैरह बनाम धर्मा वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 28–07–2006 उक्त विवेचनानुसार व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप नहीं है। जहां न्याय दांव पर लगा हो वहां मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिये, किन्तु विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानते हुए खारिज करने में त्रुटि कारित की है, जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचनानुसार अपना अभिमत प्रकट करते हुए अप्रार्थी/अपीलार्थी धर्मा वगैरह की अपील को स्वीकार करते हुए पुनः विचारण न्यायालय को अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। ***आदेश*** 8– परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अंतर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(केसर लाल मीणा)** **सदस्य**	